राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित / सामान्य / प–181 / 2013 / दिनांक :

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–जयपुर / भरतपुर / कोटा / अजमेर /
उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर।

विषय : **जम्मू कश्मीर में आपदा के दौरान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सकों का नामांकन करवाने के संबंध में।**

सन्दर्भ : **सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार का अ0शा0 पत्र क्रमांक 28015/5/2014–ईएमआर/लिटिगेशन दिनांक 22.09.14**

—— : : —— : : ——

उपरोक्त विषयान्तर्गत सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर में आपदा के दौरान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों को भिजवाने हेतु लिखा है।

अतः सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि आपके संबंधित परिक्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों में से संबंधित विशेषज्ञता के 02–02 चिकित्सकों का नाम अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को आज ही प्रेषित करें। उक्त चिकित्सकों को जम्मू कश्मीर जाने का यात्रा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं जम्मू कश्मीर का आवास–निवास तथा परिवहन जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

चिकित्सकों का मनोनयन कर आज ही ई–मेल आईडी addldirgaz@gmail.com पर अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Sd/

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित / सामान्य / प–181 / 2013 / 582 दिनांक : 23/9/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार को उनकी अ0शा0 पत्र क्रमांक 28015/5/2014–ईएमआर/लिटिगेशन दिनांक 22.09.14 के क्रम में।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को **आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने** की व्यवस्था करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

23/9/14

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

धुम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनो तम्बाकू नहीं।

लव वर्मा
सचिव
LOV VERMA
Secretary

Gyan Vigyan

23.9.14

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Government of India
Department of Health and Family Welfare
Ministry of Health and Family Welfare

D.O.No.28015/5/2014-EMR/Litigation
22nd September, 2014

Dear Rajiv,

The Hon'ble Supreme Court in a Writ Petition (Civil) No.826/2014 on matters related to Jammu & Kashmir floods passed an interim order on 18th September, 2014. The operative part applicable to the Ministry of Health & Family Welfare(MoHFW) is stated verbatim:-

"Mr. Mukul Rohatgi, learned Attorney General states that Union Health Secretary shall discuss with his counter-parts in various States/Union Territories and explore the possibility of making adequate number of doctors/para medico staff/equipments and facilitate their arrival in the State of Jammu & Kashmir at the earliest."

FS, MD, M
Dir. (P.H.)

In consultation with the State Government, a deployment plan has been worked out which requires specialists in the areas of medicine, gynaecology, anesthesia, radiology, surgery and pediatrics. In addition, they have requested for large number of OT technicians and OT assistants. MoHFW has drawn the present requirements from Central Government hospitals.

23/9/2014

The State needs to be supported till such time their own personnel reports back on duty or the crisis is deemed to be over, whichever is earlier.

In view of the above, you are requested to convey the list of doctors who could be spared in the above mentioned specialities for posting to Jammu & Kashmir from your State. The posting would be for a period of 15-30 days. Your State has to bear expenditure for travel. Board and lodging, transportation within the State etc. would be provided by the State of J&K. The list of specialists willing to serve the affected areas may be conveyed to the nodal officer Dr. P. Ravindran, Addl. DDG & Director (EMR), Directorate General of Health Services, (LL) (011) 23061302, (FAX) (011) 23061457, E-Mail 1.D.diremr@gmail.com, by the evening of 23rd September, 2014 positively.

With regards,

Yours sincerely,

(Lov Verma)

Shri Rajiv Mehrishi
Chief Secretary
Govt of Rajasthan
Secretariat
Jaipur - 302005

कमरा नं 156, ए-स्कंध, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Room No. 156, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Tele : (O) 011-23061863, Fax : 011-23061252, E-mail : secyhfw@gmail.com

FAX NO. : 01123061252 23 Sep. 2014 10:36 P 1